

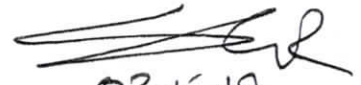
उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2504 /

जबलपुर, दिनांक 4 मई, 2019

समस्त अनुभाग अधिकारी/इंचार्ज को सूचित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को निर्देशित करें कि कर्मचारी भविष्य में अर्जित अवकाश का उपभोग करने के पूर्व वे म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित समयावधि 3 सप्ताह पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर अवकाश स्वीकृति हेतु अपने आवेदन पत्र समक्ष प्राधिकारी अथवा अनुभाग अधिकारी/इंचार्ज की अनुशंसा उपरांत स्थापना शाखा में प्रस्तुत करें एवं बिना पूर्व अवकाश स्वीकृति के अवकाश का उपभोग करने की दशा में लिखित आवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।



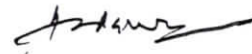
03.5.19
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/2505 /

जबलपुर, दिनांक 4 मई, 2019.

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1-2/जिला स्थापना/ई/व्ही/व्ही.एल./ ओ.एस.डी. -कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर.
2. जिला न्यायाधीश (सतर्कता) उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
3. रजिस्ट्रार आई टी उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
4. बजट अधिकारी /लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
5. डिप्टी रजिस्ट्रार, स्थापना/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
6. —————समस्त अनुभाग अधिकारी उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. समस्त इंचार्ज—————उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर.
8. उपस्थिति लिपिक, प्रशासन/न्यायिक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति आफिस टाइपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)

1. 5.19